

8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा।
9. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालयय द्वारा अधिभूत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिभूत अधिकारी द्वारा चाहा गया अधिलेख उपलब्ध करायेंगा।
10. अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु महाविद्यालय को प्रति वर्ष 1 जुलाई से 30 सितम्बर के बीच आवेदन करना होगा।
11. स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (मय यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा।
12. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
13. संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण करया जावेगा।
14. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी।
15. तीन वर्ष की अवधि के उपरान्त स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना आवश्यक है।
16. संस्था को महाविद्यालय का वर्ष में एक बार निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा, इस हेतु संस्था द्वारा इस विभाग को सूचित करना होगा।
17. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुरस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी।
18. उपरोक्त शर्तों के पालना नहीं करने पर राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् जारी किये गये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

**३**  
(पवन कुमार गोयल)

आयुक्त

दि 09 मई, 2007

- कमाक : एक 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/1702
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
  2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
  3. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
  4. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
  5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर / बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर / एम.एल.एस. विश्वविद्यालय, उदयपुर।
  6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
  7. जिला कलेक्टर, जयपुर / झुंझुनु / श्रीगंगानगर / बांसवाडा।
  8. सम्बन्धित महाविद्यालय।
  9. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
  10. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
  11. संबंधित संस्था/महाविद्यालय पत्रावली।
  12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान),  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।